संख्या-120/2025/884/35-4-2025/35-4099/30/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फर नगर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर, 2025

विषय – जनपद मुजफ्फर नगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय आई0टी0आई की स्थापना किये जाने से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च,2020 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र चरथावल में (उक्त शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020 में अंकित तालिका के क्रमांक-5 पर अंकित) कार्य **''राजकीय आई0टी0आई0 विधान सभा क्षेत्र-चरथावल, विकास खण्ड-चरथावल, ग्राम बधाईकलां मुजफ्फर नगर का भवन निर्माण का कार्य** ''(जिसमें अधिष्ठान व्यय, 01 प्रतिशत लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) हेतु रू0 1019.35 की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 407.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-110/2021/1210/35-4-2021, दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 101.94 लाख, शासनादेश संख्या-247/2021/2029/35-4-2021, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में रू0 254.84 लाख एवं शासनादेश संख्या-84/2022/225/35-4-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 203.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल रू0 968.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

4- आपके पत्रांक-481/त्व0आ0वि0यो0/मॉग/2024-25, दिनांक 04.06.2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय किया जाना इंगित करते हुए एवं टेण्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5- अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 50.90 लाख (रूपये पचास लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीयआई0टी0आई0 विधान सभा क्षेत्र –चरथावल , विकास खण्ड चरथावल,ग्राम बधाई कलां मुजफ्फर नगर का भवन निर्माण कार्य ।	1019.35	00.00	1019.35	968.39	50.90

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2020 , दिनांक 03 अगस्त,2021, दिनांक 24 नवम्बर,2021 एवं दिनांक 16 अगस्त,2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,90,000/- (रूपये पचास लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3--यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या–120/2025/884(1)/35-4-2025/35-4099/ 30/2022 -तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त सहारनपुर मण्डल ।
8. निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फर नगर ।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फर नगर ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुजफ्फर नगर ।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फर नगर ।
15. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।